[श्री हरिकेश बहादुर]

जाय जिस से सस्ते दाम पर बुनकरों को सूत मिल सके । बुनकरों को अपना कारोबार ठीक ढंग से चलाने के लिये उन्हें पर्याप्त ऋण देने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जानी चाहिये । इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही हथकरघा उद्योग के लिये खतरनाक सिद्ध होगी । अतः सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिये ।

(iv) REMEDIAL MEASURES TO CONTROL OUTBREAK OF VIRAL FEVER IN DELHI.

SHRI CHINTAMANI JENA (Balasore): Sir, several thousand persons have been suffering from a new viral fever in Delhi. The reason or reasons for this fever and the remedial measures are not known to the physicians of Delhi. The patients in almost all cases are paralysed after attack by this viral fever. Cases of paralysis are being reported from almost all Hospitals in Delhi. Only Safdarjung and AIIMS have admitted more than 20 patients suffering from this unknown disease. The doctors differ with each other on the causes of this viral fever. All of them are at a loss to explain the cause of such viral fever and, similarly, in case of curing of the disease, they are not prescribing any treatment except to console the patients by asking them to take rest. Regarding preventive measures, they only advise to keep away from crowded and conjested places. The fever as per the doctors will take its own course to be cured and the paralysis will hopefully disappear in 10 days. In some cases, as per the doctors, it may leave a deformity but that cannot be helped. Two deaths from viral paralysis have been reported from Ram Manohar Lohia Hospital. The symptoms range from a weakening fever to paralysis. The medical superintendent of Jayaprakash Narayan Hospital said that 'several cases of paralysis had come to his notice, but no one has been able to explain this'. While the doctors are still at a loss to come to a conclusion about the reason and remedy, the virus has taken a very serious turn. Several persons have complained of paralysis of one or more parts of the body. The medical superintendents of almost all Hospitals are not aware of the symptoms or even the kind of virus causing this.

In considering this very alarming situation, I would request the hon. Minister for Health to make a statement on this issue on the floor of the House.

(v) NEED TO PROVIDE ALTERNATIVE SOURCE OF FUEL TO VILLAGERS IN MADHYA PRADESH IN ORDER TO PREVENT INDISCRIMINATE FEELING OF TREES.

श्री प्रताप भानु शर्मा : (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में जंगलों की अवैध कटाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है । पिछले माह 20 जुलाई को प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी मध्य प्रदेश यात्रा के समय इस बात पर अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की थी एवं राज्य शासन को निर्देश दिये थे कि वनों की अवैध कटाई को शीघ्र रोका जाना चाहिये । परन्तु इस के बाद भी प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं ।

हाल ही में 11 से 14 अगस्त तक मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में रायसेन जिले का एवं अपने विधुनी क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों का सघन दौरा किया था वहां पर वन विभाग के चौकाने वाले तथ्य सामने आए । रायसेन जिले में जलाऊ एवं इमारती लकड़ी की अवैध कटाई एवं जाली परमिटों पर 40-50 लाख की लकड़ी निकासी का प्रकरण सामने आया है जिस की जांच की जा रही है। इसी प्रकार लाखों रुपए मूल्य की इमारती लकड़ी वन-विभाग के कूपों में पड़ी हुई खराब हो रही है ।

ग्रामीण क्षेत्रों के लोग वन विभाग में रेंजर एवं डिप्टी-रेंजरों के आतंक से परेशान हैं ।

वे लोग उन के पशुओं को निस्तार की सुविधा देने में परेशान करते हैं तथा 31-12-76 पूर्व के वन भूमि पर कब्जों पर से छोटे हरिजन एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को हटाया जा रहा है। कहीं कहीं उन गरीब किसानों से रुपया मांगने की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं, जिन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिये ।

ग्रामीण क्षेत्रों में जलाऊ एवं निस्तार की लकड़ी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिस के कारण किसानों को चोरी छिपे जंगलों से लकड़ी काटने पर बाध्य होना पड़ता है । इसी प्रकार आवासीय योजना के अन्तर्गत जिन्हें भूखंड आवंटित आवंटित हो चुके हैं, ऐसे आवासहीन व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये मध्य प्रदेश शासन से निःशुल्क बल्ली एवं बांस आदि देने की योजना है परन्तु आज तक वन विभाग द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र के 16 ब्लाक मुख्यालयों पर इन गरीब लोगों को यह सुविधा प्रदान नहीं की गई है जो कि खेद-जनक है एवं 25 सूत्री कार्यक्रमों के प्रति वन विभाग की उदासीनता का प्रतीक है ।

(vi) STEPS TO HAND OVER POSSESSION OF DISTRIBUTED LAND TO HARIJANS AND SCHEDULED TRIBES IN U.P., BIHAR AND MADHYA PRADESH.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत अविलम्बदीय लोक महत्व के प्रश्न को आप के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ।

मैं आप के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान देश के अनेकानेक राज्यों में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भूमि आवंटन के संदर्भ में बरती जा रही उपेक्षा की ओर आकर्षित कराते हुए निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा ।

मान्यवर, आज 10 वर्ष से प्रदेश में कई बार राजनैतिक परिवर्तन हुए । सरकारें बदली किन्तु सभी सरकारों ने महात्मा गांधी के राम राज्य की उस अवधारणा को ध्यान में रखा कि देश का कोई भी हरिजन आदिवासी या कमजोर वर्ग का व्यक्ति गृहहीन न रह जाये ।

इस भावना के अन्तर्गत प्रायः हर गांव में बंजर या रिक्त आबादी की जमीन जो शेष थी, वह इन वर्गों को आवास निर्माणहेतु आवंटित की गई । कुछ राज्य सरकारों ने इस से भी आगे का कदम उठाया और इन्हों ने कृषि हेतु भी कहीं कहीं जमीनें भूमिहीनों को आवंटित कर हरिजनों, आदिवासियों को दी गई, इस सहायता के संबंध में समाचारपत्रों के माध्यम से लम्बी डींग हांकी । इस में कोई संदेह नहीं कि यह कदम एक आवश्यक और अपरिहार्य कदम रहा, किन्तु खेद इस बात का रहा कि यह सब कार्य महज कागज पर ही हुआ और हरिजनों के प्रति दर्शायी गयी यह हमदर्दी अर्थहीन ही रही ।

विगत वर्ष, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश आदि में जो सरकारे बनीं उन्हों ने इस बात को स्वीकार भी किया कि इन वर्गों में हुए इस कागजी कार्य को पूर्ण रूप से व्यवहार मे लाया जाये । स्थानीय जिलाधीशों को आदेश दिये गये कि आवंटित जमीनों पर तुरन्त कब्जे दिलाये जाये । खेद है कि आज तक प्रभावपूर्ण लोगों के कब्जे में चली आ रही उन जमीनों पर इतने प्रचार एवं कठोर आदेश के बावजूद भी कब्जा नहीं हुआ ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर नामक तीन जनपदों को मिला कर बनी मेरी सुरक्षित कास्टीटुयेन्सी सैदपुर में अभी तक 85 प्रतिशत आवंटित जमीनों पर इन गरीबों को कब्जा नहीं मिला । आवंटित भूमि पर जिन लोगों का कब्जा है, उन पर कोई भी सरकारी आदेश लागू नहीं होता ।

ऐसी परिस्थिति मे मैं माननीय गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे राज्य सरकारों से तुरन्त सुचनायें प्राप्त करें ताकि आवंटित जमीनों पर अब तक क्यों नहीं कब्जा दिलाया